62. हमारे राष्ट्रीय पर्व

संकेत बिंदु- • पर्वों का महत्त्व तथा प्रकार • कब, क्यों और कैसे मनाए जाते हैं? • संदेश

हमारे जीवन में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। इन पर्वों, उत्सवों एवं त्योहारों से हमारे नीरस जीवन में समरसता, उल्लास, उत्साह एवं आनंद की वृद्धि होती है। ये पर्व अनेक प्रकार के होते हैं- धार्मिक, समाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत तथा राष्ट्रीय। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि ऐसे त्योहार एवं पर्व हैं जिनका संबंध धर्म-विशेष से है। बैसाखी, पोंगल, ओणम, बंसत-पंचमी आदि पर्वों का संबंध एक स्थान-विशेष की संस्कृति से है। इनके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका संबंध किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग से नहीं होता। इनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है। ये पर्व राष्ट्रीय पर्वों के नाम से जाने जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्वों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गाँधी जंयती प्रमुख है।

हमारे राष्ट्रीय पर्वों में सर्वप्रथम आता है - गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए अपार उत्साह देखने को मिलता है। **26 जनवरी, 1930** को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संकल्प लिखा गया था कि हम पूर्ण स्वराज लिए बिना चैन की साँस नहीं लेंगे। इसलिए 26 जनवरी के दिन का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। जब 15 अगस्त, 1947 को भारत में स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ तथा संपूर्ण राष्ट्र ने भारत में सांस ली तो उस समय हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। भारत का संविधान निर्मित किया गया तथा इसे लागू करने के लिए **26 जनवरी, 1930** की याद में **26 जनवरी, 1950** का दिन चुना गया। इसी दिन भारत एक पंथ-निरपेक्ष, सर्वप्रभुता- संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। इस दिन दिल्ली में विशेष परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सेना, पुलिस तथा अन्य बलों की परेड होती है और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झाँकियाँ, लोक-नृत्य तथा स्कूली बच्चों के अत्यंत आर्कषक कार्यक्रम होते हैं।

हमारा दूसरा राष्ट्रीय-पर्व स्वतंत्रता दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद हमें इसी दिन 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने युवकों ने हँसते-हँसते फाँसी के फंदों को चूमा, न जाने कितनों ने गुमनाम रहकर अपने प्राणों का बलिदान किया। न जाने कितनों ने वर्षों तक जेलों में यातनाएँ सही, न जाने कितनों ने सिर से कफन बाँधकर अपना प्राणोत्सर्ग किया। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक भवन लालकिले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण भारत में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

गाँधी जयंती (2 अक्टूबर) को भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाँधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने हमें सत्य एवं अहिंसा का वह शास्त्र दिया जिसके आगे ब्रिटिश साम्राज्य को भी घुटने टेकने पड़े। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, देश में राजनैतिक जाग्रति लाने, अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा तथा खादी प्रचार में गाँधी जी के योगदान को भारत-भूमि सदा याद रखेगी। भारतीय जन-मानस की वल्लरी, जो दैन्य और निराशा के तप्त झोंकों से मुरझा गई थी, गाँधी जी के स्निग्ध पीयूष धारा में अवगाहन करके लहलहा उठी थी। 2 अक्टूबर को समूचा राष्ट्र नत-मस्तक होकर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है। इन पर्वों के अतिरिक्त नेहरू जी का जन्म-दिवस (14 नवम्बर) बाल दिवस और डा. सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म-दिवस (5 सितम्बर) शिक्षक दिवस के रूप में समूचे भारत में मनाए जाते हैं।

इन सभी पर्वों से हमें राष्ट्रीय समस्याओं पर पुनर्विचार करने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने, राष्ट्रोन्नति के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने और देशोन्थान का संकल्प लेने का अवसर मिलता है।

Scanned with CamScanner

47. राष्ट्रीय एकता

संकेत बिंदु –
- भारत में विभिन्नता
- राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व
- अनेकता में एकता
- समाधान

राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है-राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाई-चारे का बना रहना। भारत अनेकताओं का देश है यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, सम्प्रदायों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का रहन-सहन, खान-पान और पहनावा भी भिन्न है। भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ भी कम नहीं है।

भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता या अविरोध विद्यमान है। यहाँ सभी जातियाँ घुल-मिलकर रहती हैं। यहाँ प्राय: लोग एक-दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। आदर न भी करे तो दूसरे के प्रति सहनशील हैं। भारत की यह दृढ़ मान्यता है कि 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'। अर्थात सत्य एक है। उस तक पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न है। गीता में उसी दृष्टि को श्रेष्ठ कहा गया है जो अनेकता में से एकता को पहचानती है।

भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है- कुटिल राजनीति। यहाँ के राजनेता 'वोट बैंक' बनाने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव के बीज बोते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों को देश की मुख्य धारा से अलग करते हैं। कभी किसी विशेष जाति, प्रांत या भाषा के हिमायती बनकर देश को तोड़ते है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हो, नक्सलवाद का आंदोलन हो, सबके ऊपर वोट के प्रेत मंडराते नजर आते हैं। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्ट-राजनेता उन्हें बाँटकर रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय एकता में अन्य बाधक तत्व है- विभिन्न धार्मिक नेता, जातिगत असमानता, आर्थिक आदि।

प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकता को बल कैसे मिले? संघर्ष का शासन कैसे हो? अर्थात देश में सभी असमानता लाने वाले कानूनों को समाप्त किया जाए। पर्सनल लॉ, हिंदू कानून आदि अलगाववादी कानूनों को तिलांजलि दी जाए। उसकी जगह एक राष्ट्रीय कानून लागू किया जाए। सब नागरिकों को एक-समान अधिकार प्राप्त हो। किसी को किसी नाम पर भी विशेष सुविधा का दर्जा न दिया जाए।

राष्ट्रीय एकता बनाने का दूसरा उपाय यह है कि लोगों के हृदयों में परस्पर आदर का भाव जगाया जाए। यह काम साहित्यकार, कलाकार, विचारक और पत्रकार कर सकते हैं। वे अपनी लेखनी और कला से देशवासियों को एकता का पाठ पढ़ा सकते हैं।

Scanned with CamScanner